प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)-राजस्थान सरकार

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)-राजस्थान सरकार, दिनांक 21 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एक सार्वजनिक अभिलेख है। प्रतिवेदन में इंगित किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु नीचे दर्शाये गये हैः

इस प्रतिवेदन में राज्य के 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन का उल्लेख किया गया है। इसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार की कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर दस अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत शासित होती है।

31 मार्च 2019 को राजस्थान में 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) जिनमें तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियां (तीन अकार्यरत सरकारी कम्पनियों को सम्मिलित करते हुये) सम्मिलित थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थी। कार्यरत उपक्रमों ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 75179.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.09 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2019 को 43 उपक्रमों में कुल निवेश (समता पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 124266.77 करोड़ था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल निवेश (₹ 23114.61 करोड़) का 86.42 प्रतिशत (₹ 19974.86 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र ने प्राप्त किया।

(परिचय)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को लागू (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(आरएसईबी) की शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं कार्यों को राज्य सरकार को एक या अधिक विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तद्नुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, उत्तरदायित्व, दायित्व, कार्यवाहियां एवं कार्मिक ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को हस्तांतरित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000)। 31 मार्च 2019 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियां थीं। इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

इन 15 कम्पनियों में से छः कम्पनियों ने 2018-19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की। इन छः कम्पनियों में से एक कम्पनी नामतः *केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड* ने अपनी व्यावसायिक गतिविधिया वर्ष 2018-19 के दौरान बंद कर दी (15 फरवरी 2019)। अतः इस प्रकार इन उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया है। सरकार को इन उपक्रमों की व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने, नवीनतम लेखों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 60355.46 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राजस्थान के जीएसडीपी के 6.50 प्रतिशत के बराबर था जो कि विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में कुल निवेश (समता पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 111778.38 करोड़ था। निवेश में 40.88 प्रतिशत पूँजी एवं 59.12 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋणों के 27.73 प्रतिशत (₹ 18324.72 करोड़) थे जबकि शेष 72.27 प्रतिशत (₹ 47753.26 करोड़) दीर्घकालीन ऋण अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये थे।

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 16184.94 करोड़ की हानि के समक्ष 2018-19 में अर्जित लाभ ₹ 2319 करोड़ था। ऊर्जा क्षेत्र की इन कम्पनियों के 2018-19 के लेखों के अनुसार, छः कम्पनियों ने ₹ 2773.19 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार कम्पनियों को ₹ 454.19 करोड़ की हानि हुई। शेष पांच कम्पनियों को वर्ष 2018-19 के दौरान मामूली हानि हुई। शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1233.76 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 906.09 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 466.82 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 138.42 करोड़) थी जबकि गिरल लिग्नाईट पॉवर लिमिटेड (₹ 324.13 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 127.99 करोड़) ने भारी हानि वहन की।

31 मार्च 2019 को ₹ 45700.40 करोड़ के पूंजी निवेश के समक्ष विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 96597.14 करोड़ थी। ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों में से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (-) ₹ 20277.18 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-) ₹ 19820.20 करोड़, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-) ₹ 19000.52 करोड़ एवं गिरल लिग्नाइट पॉवर लिमिटेड (-) ₹ 894.72 करोड़ में निवल सम्पत्तियों का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

राज्य के स्वामित्वाधीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार (जीओआर) एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम (अर्थात जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (27 जनवरी 2016) किए गए। उदय एवं एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके समक्ष राजस्थान सरकार ने इस अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 9000 करोड़ का अर्थ-सहाय्य प्रदान किया। शेष ₹ 44721.95 करोड़ की राशि जिसे उदय के अन्तर्गत ऋण में परिवर्तित किया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के समक्ष, राजस्थान सरकार ने 2017-18 एवं 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिये गये 15 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किया। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 23 प्रकरण थे।

(अध्याय–I)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनकी परिणति गंभीर वित्तीय प्रभावों के रूप में हुई थी। इंगित की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उपकर जमा कराने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य शास्ति

तीनों डिस्कॉम्स द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों में निर्धारित समयावधि के अनुसार जल संरक्षण उपकर (डब्ल्यूसीसी) जमा करवाने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की गई। उचित कार्यविधि के अभाव में विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहण किए गए डब्ल्यूसीसी को जमा करने में विलम्ब हुआ एवं ₹ 55.42 करोड़ के ब्याज की शास्ति का दायित्व उत्पन्न हुआ।

(अनुच्छेद-2.1)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किये गए अनुबंधों के वित्तीय समापन में प्रणालीगत कमियां

कम्पनी ने प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाया था एवं ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की थी। साथ ही, क्रय आदेशों /टर्नकी कार्यों के ठेकों के वित्तीय समापन संबंधित एसीओएस /आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालानों को प्रस्तुत नहीं करने, एसीओएस एवं एमएम समूह के मध्य कमजोर सम्प्रेषण प्रणाली, आपूर्तिकर्ताओं से वसूली करने में सुस्त दृष्टिकोण, लागू शास्ति की वसूली में विलम्ब/अवसूली, नाममात्र निष्पादित टर्नकी कार्यों के समापन एवं दोषी आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को नहीं भुनाने के कारण असामान्य रूप से विलंबित/अपूर्ण रहा।

(अनुच्छेद-2.2)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण गबन

कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी ने कम्पनी के कार्मिक को बैंक ट्रांसफर एडवाइस में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से वेतन अभिलेखों में हेरफेर करके ₹ 2.25 करोड़ का गबन करने का अवसर प्रदान किया।

(अनुच्छेद-2.3)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

ग्रिड सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों का निर्माण

कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता का संधारण करने हेतु निर्धारित आदर्शो/मानकों की अनुपालना नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में वृहद अंतर था। साथ ही, त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन पर कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये थे। साथ ही, इन कार्यो के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियों को

नहीं करने के कारण कार्यो के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ एवं अत्यधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रही थी। इसके अतिरिक्त, अनुचित नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण भी कम्पनी द्वारा लिए गये ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी कार्यो की भौतिक प्रगति की प्रभावशाली निगरानी करने में असफल रही थी।

(अनुच्छेद-2.4)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2019 को राजस्थान में 28 राज्य उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिनमें 22 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत उपक्रम (समस्त कम्पनियां) थे। वर्ष 2018-19 के दौरान नवीनतम वित्तीय लेखों के अनुसार कार्यरत उपक्रमों ने ₹ 14823.86 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के जीएसडीपी के 1.60 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के उपक्रमों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2019 तक, इन 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 12488.40 करोड़ था। निवेश में 28.75 प्रतिशत पूँजी एवं 71.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 24.99 प्रतिशत (₹ 2224.18 करोड़) था जबकि शेष 75.01 प्रतिशत (₹ 6674.35 करोड़) दीर्घावधि ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त किया गया था।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का कार्य निष्पादन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) की हानियों में महत्वपूर्ण कमी के कारण इन कार्यरत राज्य उपक्रमों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 5.87 करोड़ की हानि 2018-19 में ₹ 219.85 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, 25 कार्यरत राज्य उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने ₹ 511.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात उपक्रमों ने ₹ 291.68 करोड़ की हानि वहन की।

शीर्ष लाभ कमाने वाले राज्य उपक्रम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 168.50 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (₹ 88.89 करोड़), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 35.00 करोड़) थे जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 176.11 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹ 52.97 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिये गये 18 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लेखों पर विपरीत प्रमाण-पत्र एवं अन्य नौ लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किया। छः लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के अठारह प्रकरण इंगित किये गये।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2019 को 15 कार्यरत उपक्रमों के 21 लेखे बकाया थे। निष्क्रिय उपक्रमों में से एक अकार्यरत उपक्रम के चार लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत उपक्रमों को बंद किये जाने के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

(अध्याय-III)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

'बसों के प्रापण एवं उपयोग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों के प्रापण एवं उपयोग को सम्मिलित करती है।

वित्तीय निष्पादन

निगम ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारी हानि वहन की एवं यह संचालन की लागत भी वसूल नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, निगम की संचित हानियां एवं ऋणात्मक निवल मूल्य 2014-15 में क्रमशः ₹ 2766.90 करोड़ एवं ₹2127.94 करोड़ से सारभूत रुप से बढ़कर 2018-19 में क्रमशः ₹ 4975.52 करोड़ एवं ₹ 4336.56 करोड़ हो गये।

(अनुच्छेद-4.8)

सार्वजनिक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी

निगम सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था क्योंकि बस यातायात एवं प्रति व्यक्ति प्रभावी किलोमीटर में निगम की हिस्सेदारी, निजी बसों के बेड़े में वृद्धि की अधिक दर एवं निगम के बेड़े के कम उपयोग के कारण क्रमशः 10.36 प्रतिशत से घटकर 9.98 प्रतिशत एवं 8.43 से घटकर 6.91 तक रह गई।

(अनुच्छेद-4.11)

आवश्यकता के आंकलन के लिए नीति/क्रियाविधि

निगम ने बसों की उपलब्धता एवं अर्द्ध-वार्षिक योजना में आवश्यकता के आंकलन को सहसंबंधित करके बसों के प्रापण/किराए पर लेने की सामयिक योजना बनाने के लिए एक तंत्र विकसित नहीं किया था।

(अनुच्छेद-4.14.1)

आगार-वार आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को किराए पर लेना

संबंधित आगारों से विशिष्ट आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को केंद्रीयकृत स्तर पर किराए पर लिया गया था। निगम ने किराए की बसों के आवंटन से पूर्व आगारों से आवश्यकता की पुष्टि भी नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2016-19 के दौरान, चार से सात आगारों में 21 से 75 बसों के मध्य अतिरिक्त बसें थी एवं पांच से आठ आगारों को 60 से 183 बसों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कोटा आगार (2016-17), राजसमंद एवं डूंगरपुर आगार (2017-18) एवं जयपुर आगार (2017-18 एवं 2018-19) के पास अतिरिक्त बसें थीं, लेकिन इन्हे अन्य आगारों, जो बसों की कमी का सामना कर रहे थे, में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद-4.14.2)

किराए पर ली गई लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों के परिचालन से हानि

निगम ने कुछ विशेष मार्गों पर बसों के परिचालन की उचित आवश्यकता एवं व्यावहार्यता का आंकलन किए बिना लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों को किराए पर लिया एवं परिचालित किया। परिणामस्वरूप, निगम को अलाभकारी मार्गो पर बसों के परिचालन के कारण ₹ 2.34 करोड़ की शुद्ध हानि वहन करनी पड़ी। निगम ने लगातार हानि वहन करने के उपरान्त भी इन बसों को चलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के प्रयास नहीं किए थे।

(अनुच्छेद-4.19 एवं 4.21)

बसों को किराये पर लेने में कमियां (2016-17)

निगम ने 800 बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (दिसंबर 2016), तथापि, निगम ने 500 नई ब्लू-लाईन बसों के प्रापण के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आवश्यकता को पुनर्निधारित नहीं किया था। यह प्रक्रिया जारी रखी गई एवं पांच साल की अवधि के लिए बसों को किराए पर लिया गया। इस प्रकार, किराए पर ली जाने वाली बसों की आवश्यकता में कमी नहीं करने के परिणामस्वरूप वास्तविक उपयोग की तुलना में अतिरिक्त बसों की उपलब्धता बढ़ गई।

(अनुच्छेद-4.20 एवं अनुबंध-16)

बेड़ा एवं इसका आयु विवरण

निगम वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के निर्धारित मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सका था। आयु पार बसों की प्रतिशतता 2014-15 में 7.33 प्रतिशत से बढकर 2018-19 में 18.46 प्रतिशत हो गई।

(अनुच्छेद-4.23)

बेड़ा उपयोगिता

निगम के बेड़े का औसत उपयोग मुख्यतः यंत्रदोष, यांत्रिक समस्याओं एवं बसों का आवंटन नहीं किए जाने इत्यादि के पेटे अनुसूचित किलोमीटर में कटौती के कारण 2014-15 में 92 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 68 प्रतिशत रह गया।

(अनुच्छेद-4.24)

वाहन उत्पादकता

निगम की समग्र वाहन उत्पादकता (किराए की बसों सहित) 2014-15 से 2018-19 के दौरान 397 किलोमीटर प्रतिदिन से घटकर 392 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई थी। निगम की बसों की वाहन उत्पादकता 390 किमी से घटकर 363 किमी प्रति दिन हो गई, तथापि, निगम ने इस स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

(अनुच्छेद-4.25)

अनुसूचित किलोमीटर का निरस्तीकरण

वर्ष 2014-19 के दौरान, अनुसूचित किलोमीटर के निरस्त होने की प्रतिशतता मुख्य रूप से बसों की पर्याप्त संख्या में तैनाती नहीं किए जाने, चालक दल की कमी एवं अन्य कारण जैसे कि यंत्रदोष, दुर्घटना, निम्न आय इत्यादि के कारण लगातार बढ़कर 7.25 से 14.20 हो गई थी। 2014-19 के दौरान निगम केवल बसों एवं चालक दल की आवश्यकता के कारण अनुसूचित किलोमीटर निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 72.95 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया था।

(अनुच्छेद-4.26)

यात्री भार

निगम का प्रदर्शन कमजोर रहा क्योंकि यह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लक्षित यात्री भार प्राप्त नहीं कर सका। सम-विच्छेद यात्री भार का प्रतिशत बहुत अधिक था एवं 83.01 प्रतिशत से 102.55 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही, इसमें 2016-17 के पश्चात निरन्तर वृद्धि हुई थी।

(अनुच्छेद-4.27)

ईंधन दक्षता

निगम 2014-19 के दौरान औसत डीजल लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2014-19 के दौरान, चयनित 15 आगारों में से, वर्ष 2015-16 में राजसमंद आगार एवं वर्ष 2017-18 में करौली आगार को छोड़कर, कोई भी आगार केएमपीएल के आगार-वार लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। केएमपीएल के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का कारण, मुख्य रूप से आयुपार वाहनों का परिचालन था, जो कि 322 से बढ़कर मार्च 2019 तक 749 अर्थात निगम की कुल बसों का 18.46 प्रतिशत तक हो गई थी।

(अनुच्छेद-4.30)

केंद्रीय कार्यशाला (सीडब्लयूएस) का प्रदर्शन

सीडब्ल्यूएस, जयपुर के कार्य निष्पादन की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वर्ष 2014-15 में 81 प्रतिशत बसों की सामयिक मरम्मत के समक्ष वर्ष 2018-19 में मात्र 65 प्रतिशत बसों की मरम्मत समय पर की गई थी। साथ ही, 2017-18 एवं 2018-19 में स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई क्योंकि सीडब्ल्यूएस ने 145 बसों की मरम्मत के लिए 61 से 365 दिन तक का समय लिया।

(अनुच्छेद-4.33)

निष्पादन संकेतकों की निगरानी

प्रणाली में कमी थी क्योंकि विभिन्न मापदंडों पर संकलित सूचना की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता की समीक्षा नहीं किए जाने के साथ-साथ एमआईएस परिवर्तनशील लागत से नीचे संचालित अनुसूचियों की सूचना प्रदान नहीं करता था। विभिन्न निष्पादन संकेतकों की आगार-वार सूचना से बीओडी को अवगत नहीं करवाया गया था।

(अनुच्छेद-4.36)

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें सम्मिलित हैं यथा निगम द्वारा (i) सार्वजनिक परिवहन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करने; (ii) नियोजित अनुसूची एवं बसों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बसों के प्रापण/किराये पर लिए जाने की आवश्यकता के आंकलन हेतु एक प्रणाली विकसित करे; (iii) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना के साथ-साथ ठेकेदारो/ आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पादित संविदा अनुबंधों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे; (iv) बेड़े के इष्टतम उपयोग, वाहन उत्पादकता में सुधार, यात्री भार में सुधार, स्थायी लागत एवं ईंधन लागत में कमी करने हेतु ठोस कदम उठाये; एवं (v) आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करे।

साथ ही, यदि निगम इसकी परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन में लक्षित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो सरकार निगम के परिचालनों की निरन्तरता बनाए रखने के संबंध में अंतिम निर्णय कर सकती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित राज्य की कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जांच में प्रकट हुये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम में गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) के प्रबंधन पर विषय-परक लेखापरीक्षा

निगम एमएसएमई क्षेत्र की औद्योगिक ऋणों की बढ़ती हुई मांग के साथ गति बनाए रखने में समर्थ नहीं था क्योंकि 2015-18 के दौरान निगम का पोर्टफोलियों औद्योगिक क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों के 1.19 प्रतिशत व 1.27 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, निगम की कार्मिक लागत अन्य एसएफसी की तुलना में अधिक थी। निगम ने बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण, ऋण स्वीकृत करने में कमियों की परिणीति अयोग्य ऋणियों को ऋण प्रदान करने के रूप में देखी गई। निगम ने राजस्व प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया एवं चूककर्ता की सम्पत्तियों की पहचान करने में भी विफल रहा। निरन्तर चूक एवं मिथ्या प्रतिबद्धताओं के उपरान्त भी, ऋणियों को निरन्तर अवसर प्रदान किए गए थे। साथ ही, निगम कब्जे में ली गई सम्पत्तियों के निस्तारण में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बकाया में वृद्धि हुई। सीआरई के प्रकरणों में, मुकदमों एवं सम्पत्तियों के निस्तारण नहीं होने के कारण देयता का सारभूत संचय हुआ एवं यह सम्पत्तियों के बाजार वसूलनीय मूल्य से अधिक हो गई थी। शाखा स्तर पर निगरानी एवं निरीक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि इकाईयों के दौरे निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद-5.1)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

नवीन एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण एवं परिचालन निष्पादन

एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण भारी अतिरिक्त लागत पर हुआ था, जो कि मुख्यतः सिविल कार्यो में एवं अभियांत्रिकी अनुबंधों अतिरिक्त समय लगने से लागत में वृद्धि डीपीआर में परिकल्पित नहीं किये गए कुछ कार्यो के क्रियान्वयन के कारण थी। चीनी मिल एवं सह-उत्पादन संयत्र का परिचालन निष्पादन अत्यधिक यंत्रदोष, बगास के अतिरिक्त उपभोग, गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति, सह-उत्पादन संयत्र के कमजोर निष्पादन के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को विद्युत के कम निर्यात के परिणामस्वरूप प्रभावित हुआ था। डिस्टिलरी संयत्र मार्च 2020 तक सम्पूर्ण रूप से स्थिरीकरण नहीं किया जा सका जिसकी परिणति कमतर उत्पादन एवं

उत्पादित परिशोधित स्पिरिट की उच्च लागत के रूप में हुई। कम्पनी ने निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना नहीं की क्योंकि इसने अवशिष्ट शोधन संयंत्र का स्थिरीकरण नहीं किया था। साथ ही कमजोर वित्तीय प्रबंधन के भी प्रकरण थे एवं कम्पनी परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिये निगरानी का एक प्रभावी तंत्र विकसित नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद-5.2)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

ठेकेदार से वसूली का अभाव

ठेकेदार के साथ अस्थायी आधार पर टोल वसूली हेतु करार निष्पादित करते समय नई टोल नीति 2016 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने एवं दोषी ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद-5.3)

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

शास्ति वाक्यांश में अनाधिकृत सीमा निर्धारण के कारण कम वसूली

गैर निष्पादन/निम्न निष्पादन के लिए शास्ति को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित करने के स्वतः निष्फल होने वाले अनाधिकृत वाक्यांश को सम्मिलित करने के कारण ₹ 11.48 करोड़ शास्ति की वसूली नहीं हो पाई।

(अनुच्छेद-5.4)

ठेकेदारों को उच्चतर डीजल लागत के भुगतान के कारण परिहार्य वित्तीय भार

कम्पनी द्वारा आवश्यक लागत-लाभ विश्लेषण किए बिना ठेकेदारों को डीजल की आपूर्ति करने का प्रचलन बंद करने के कारण ₹ 22.19 करोड़ की उच्चतर डीजल लागत का परिहार्य अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद-5.5)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

आवंटी फर्म को अदेय लाभ

कम्पनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन किया एवं इस प्रकार न केवल औद्योगिक पार्क (नीमराना) में गैर-औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग की सीमा को बढ़ाया अपितु रूपांतरण शुल्क की संशोधन-पूर्व दर पर वसूली करके आवंटी को ₹ 3.55 करोड़ का अदेय लाभ भी प्रदान किया।

(अनुच्छेद-5.6)